

संख्या-2225 / सोलह प्रारूप 3-2012

प्रेषक,

आरो सी० श्रीवास्तव  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा  
उ०प्र० कानपुर।  
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-३

लखनऊ दिनांक

१४ अक्टूबर 2012

विषय: निजी क्षेत्र में स्थापित पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-७०/ई-स०नि०कैम्प/प्रवेश नीति/नि० क्षेत्र/2012 दिनांक २३-७-२०१२ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र में स्थापित पालीटेक्निक संस्थाओं में काउन्सिलिंग के उपरान्त रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश के संबंध में निम्नवत् नीति/प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

१- राजकीय तथा अनुदानित पालीटेक्निकों के साथ-साथ पूर्व की भौति निजी क्षेत्र के सभी पालीटेक्निकों के सभी पाठ्यक्रमों की शत-प्रतिशत सीटों पर आवश्यकतानुसार २ या ३ चरणों की काउन्सिलिंग की जायेगी।

२- २ अथवा ३ चरणों की काउन्सिलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र के पालीटेक्निकों में रिक्त रह गयी सीटों पर प्रवेश के लिये सर्व-प्रथम उन छात्रों को वरीयता दी जायेगी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, किन्तु बचालीफाई न कर पाये हों।

३- दूसरी वरीयता उन छात्रों को दी जाये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, किन्तु बचालीफाई न कर पाये हों।

सूचना भूम्प

Cabinet note

कृत निर्देश  
१४/१०/१२

.....2/-

०१  
१९/१०/१२

अधिकारी का दस्तावेज  
०२/१०/१२

०१/१०/१२

—2—

4— तीसरी वरीयता ऐसे छात्रों को दी जाये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की परीक्षा में न तो रेंक ही प्राप्त कर सके हैं, और न ही समिलित हुए हों। उन्होंने हाई-स्कूल की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 45 प्रतिशत) उत्तीण की हो।

5— प्रस्तर 2, 3 व 4 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश सापेक्षित योग्यता के अनुसार दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित कट-आफ-तिथि तक दिया जा सकेगा व विशेष परिस्थितियों में शासन द्वारा ही प्रवेश तिथि में छृट दिया जाना संभव होगा।

6— सभी सम्बद्ध संस्थाओं का यह दायित्व होगा कि वह प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सभी प्रवेशित छात्रों के संबंध में निर्धारित सूचना निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रोफार्म के माध्यम से परिषद को प्रेषित करें।

7— प्रवेशित अभ्यर्थियों के परीक्षा फार्म परिषद द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी तर्जा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में शासन द्वारा उक्त में छृट प्रदान की जा सकती है।

8— चूंकि दो अथवा तीन चरणों की काउन्सिलिंग के पश्चात निजी क्षेत्र के पालीटेक्निकों में रिक्त सीटों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लिये जाने पर इन रिक्त सीटों के विस्तृत आरक्षित/अनारक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने के लिये इच्छुक है उसे उपरोक्तानुसार प्रवेश दे दिया जायेगा।

9— आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा रत्तरीय पाठ्यक्रमों में सीधे द्वितीय वर्ष में Lateral Entry प्रवेश निजी क्षेत्र के पालीटेक्निकों में ए0आई0सी0टी0ई0/संक्षम रूप से अनुमोदित मानकों के अनुसार प्रवेश क्षमता के अधिकतम 10 प्रतिशत तक दिया जा सकेगा।

2— उपरोक्त प्रक्रिया के किसी भी बिन्दु का उल्लंघन होने पर संबंधित संस्था के विस्तृत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त निजी स्थापित पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(आर0सी0 श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि एवं निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महात्मगांधीजी का सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अधिकारी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कोटीयं कार्यलय, कानपुर।
- 3- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० कानपुर।
- 4- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- सचिव, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० (द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा)।
- 8- समस्त प्रधानाचार्य / निदेशक निजी क्षेत्र पालीटेक्निक संस्थाये (द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा)।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(इसीरीय निम्न  
उपसचिव  
रूपी)

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,

पृ०सं० 21/१२० - २२/१५५ उत्तर प्रदेश<sup>—</sup>  
/ई-एआईसीटीई/ अनुमोदन/ नईनीति(2011) २२/१५५ कानपुर: दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-३, विधान भवन, लखनऊ
2. समस्त प्रधानाचार्य / निदेशक, निजी क्षेत्र पाली० संस्थायें, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(राकेश वर्मा )

सहायक निदेशक,  
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।